पत्रांक 15/सी 7–01/2014 –1836
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

एच0आर0 श्रीनिवास,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

पटना, दिनांक 15/9/2014

विषयः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 77 दिनांक 06.11.2013 द्वारा स्वीकृत राशि के उपयोग में विहित प्रक्रिया के अनुपालन किए जाने की स्थिति प्रतिवेदित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 578 दिनांक 19.03.2014 का निदेश करें। वांछित प्रतिवेदन अब तक आपके स्तर से अप्राप्त है। प्रासंगिक मामले में अंकित करना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 77 दिनांक 06.11.2013 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य योजनान्तर्गत राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों के विकास हेतु कुल रूपये 47,54,83,452/– (सैतालीस करोड़ चौवन लाख तीरासी हजार चार सौ बावन) स्वीकृत किए गए है। इनमें विभिन्न महाविद्यालयों को प्रयोगशाला उपकरणों के क्रय हेतु भी राशि स्वीकृत किए गए है। उक्त स्वीकृत्यादेश की छाया प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि निम्नांकित बिन्दुओं पर जाँचोपरांत शीघ्र प्रतिवेदन समर्पित किया जाए :–

1. स्वीकृत्यादेश में आपके विश्वविद्यालय के जिन महाविद्यालयों को प्रयोगशाला उपकरण क्रय हेतु राशि स्वीकृत की गई है, उनमें से कितने महाविद्यालयों को उपकरणों की आपूर्ति में साईंस पैलेस, बिसाईड उडलैण्ड शोरूम, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर तथा मे0 साईन्स सेन्टर, पटना द्वारा की गई है।

2. उपकरणें के क्रय के क्रम में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 77 दिनांक 06.11.2013 की कंड़िका (4) का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं। यदि हाँ तो अनुपालन किए जाने संबंधी साक्ष्य मसलन न्यूज पेपर में निविदा आदि निकाले जाने संबंधी विज्ञप्ति की छाया प्रति संलग्न किया जाए।

3. प्रत्येक महाविद्यालय जहाँ उपस्कर क्रय की कार्रवाई हुई है वहाँ क्रय किए गए सामानों की विस्तृत विवरणी यथा उपस्कर का नाम, उनकी संख्या, उनका दर आदि उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ जितने राशि का उपस्कर क्रय हुआ उसका कुल लागत राशि।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अविलम्ब प्रतिवेदन समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,

12/9

(एच0आर0 श्रीनिवास)
सरकार के विशेष सचिव

Hindi letter 2014

[redacted]